सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4 (1) ख (iii)

मैनुअल संख्या–3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियॉ बरती गयी है, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि/सुझाव रह गये हो तो कृपया अवस्थापना भवन, 583–ठ, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून– 248001 को डाक द्वारा या टैलीफोन नम्बर 0135-2522941 या ई–मेल bridcul@gmail.com पर सूचित करें ।

मैनुअल संख्या–3

1. निर्णय लेने की प्रकिया

निगम की निर्णय लेने की प्रकिया में निम्नलिखित तंत्र का इस्तेमाल होता हैः–

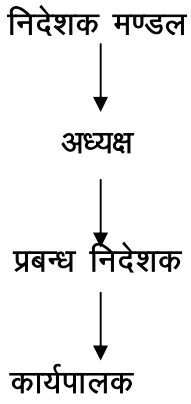

2. अंतिम निर्णय लेने का अधिकार

निगम का पूर्ण संचालन निदेशक मंडल के हाथ में होता है जोकि कम्पनी में उच्चतम निर्णायक होते हैं। निदेशक मण्डल कम्पनी के शेयर होल्डर जोकि कम्पनी के असली मालिक हैं, के प्रति जवाब देय होते हैं। ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम होने के कारण निदेशक मण्डल उत्तराखण्ड सरकार के प्रति भी जवाब देय होते हैं।

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अनुसार कतिपय नीतिगत मामलों में कम्पनी के शेयर होल्डरों की आम सभा की सहमति की आवश्यकता भी होती है। इसी प्रकार सरकारी उपक्रम होने के कारण कम्पनी के Articles of Association के अन्तर्गत भी कुछ मामलों में उत्तराखण्ड शासन के दिये निर्देशों के अनुरूप एवं उनकी स्वीकृति के आधार पर कार्य करने होते हैं।

निदेशक मंडल का मुख्य कार्य एक न्यासी के रूप में शेयर होल्डरों के हितों का संरक्षण एवं पर्यवेक्षण रखना होता है। निदेशक मण्डल निगम के हितों की देख–रेख, कार्पोरेट किया कलापों की समीक्षा, महत्व के निर्णयों की अधिकारिकता एवं अनुश्रवण तथा शेयर होल्डरों की व्यापक हितों की सुरक्षा करता है।

निगम के दैनिक कार्यों की देख–रेख का दायित्व प्रबन्ध निदेशक के ऊपर होता है जिनके सहयोग हेतु अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त हैं। निगम अपने कार्यों को सुचारू संपादन हेतु निदेशक मण्डल द्वारा अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक को कुछ ठोस अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है। जिनमें से कुछ अधिकार प्रबन्ध निदेशक द्वारा मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक तथा अन्य अधिकारियों को अपने नियन्त्रणाधीन उप–प्रत्यायोजित कर दिये गये है।

प्रबन्ध निदेशक की जवाब देही निदेशक मंडल के प्रति होती है। अन्य अधिकारी सम्बन्धित मुख्य महाप्रबन्धक व महाप्रबन्धक के प्रति जवाब देह होते हैं।

3. संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि

सरकारी उपक्रम होने के कारण कम्पनी के Articles of Association के अन्तर्गत भी कुछ मामलों में उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये निर्देशों के अनुरूप एवं उनकी स्वीकृति के आधार पर कार्य करने होते हैं।

4. निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो

ब्रिडकुल उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय–समय पर दिए गए दिशा निर्देश एंव शासना देश के आधार पर किसी भी पत्रावली एंव प्रकरण के गुण अवगुण (Merit) के आधर पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाता है। ई–निविदा से सम्बन्धित निर्णय त्वरित एंव पूर्व से निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है।

5. पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल

ब्रिडकुल एंव गतिमान कार्यो का पर्यवेक्षण एंव जवाबदेही उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय समय पर जारी शासनादेश, दिशा निर्देश, आचरण सेवा नियामावली, उत्तराखण्ड सेवा नियामावली, वित्तीय अधिप्राप्ती नियमावली के अनुसार किया जाता है। साथ ही पर्यवेक्षण कनिष्ठ अधिकारियों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है।